Annex-II

संख्या-711/18-2-2013-71क/99

प्रेषक,

आलोक रंजन
मुख्य सचिव
उ0प्र0 शासन।

सेवा में,

1. आयुक्त एवं निदेशक,
उद्योग उ0प्र0, कानपुर।
2. समस्त विभागाध्यक्ष/कार्यालयाध्यक्ष, उ0प्र0।
3. प्रबन्ध निदेशक/मुख्य कार्यपालक अधिकारी, समस्त शासकीय नियंत्रणाधीन निगम/उपक्रम/परिषद/प्राधिकरण/स्वायत्तशासी संस्थायें, उ0प्र0।

सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम अनुभाग-2 लखनऊ:दिनांक: 21 मई, 2013

विषय: लघु उद्योग इकाईयों से सामग्री क्रय हेतु भारत सरकार लघु उद्योग मंत्रालय द्वारा आरक्षित किये गये 358 आइटम्स को क्रय में लघु उद्योग के लिए आरक्षित किये गये जाने एवं प्रदेश सरकार के क्रय संबंधी आदेशों का अनुपालन किये जाने के संबंध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक लघु उद्योग अनुभाग-5, के शासनादेश संख्या-499/18-5-2004-71क/99,दिनॉक-26 मार्च 2004 (छायाप्रति संलग्न) का कृपया संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, जिसके द्वारा प्रदेश की लघु उद्योग इकाईयों के प्रोत्साहन हेतु पूर्व में भारत सरकार/राज्य सरकार के द्वारा निर्गत कतिपय शासनादेशों/आदेशों/निर्देशों का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित कराये जाने के निर्देश दिये गये है।

2. इस संबंध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि लघु उद्योग अनुभाग-2 के शासनादेश संख्या-950/18-5-09-9(एसपी)/95, दिनॉक 25-8-2009 द्वारा प्रदेश की औद्योगिक इकाईयों को प्रदत्त मूल्य वरीयता/क्रय वरीयता की नीति, जो दिनॉक 31मार्च, 2012 तक विस्तारित की गई थी, वर्तमान में समाप्त हो चुकी है और इसे कतिपय संशोधन सहित निर्गत किये जाने पर विचार किया जा रहा है। इसी प्रकार लघु उद्योग अनुभाग-2 के शासनादेश संख्या-352/18-2-2011-4(एसपी)/2010, दिनॉक 31 मार्च, 2011 द्वारा उद्योग निदेशालय स्तर पर केन्द्रीयकृत दर अनुबन्ध तथा कतिपय विभागों के अनुरोध पर किये जा रहे मात्रा अनुबन्ध को समाप्त करते हुए समस्त प्रकार के उत्पादों के दर अनुबन्ध/मात्रा अनुबन्ध के अधिकार समस्त विभागों को कतिपय शर्तों एवं प्रतिबन्धों के अधीन प्रदत्त किये जा चुके हैं।

3. इसी प्रकार उ0प्र0 लघु उद्योग अनुभाग-2 के शासनादेश संख्या-686/18-2-2011-71क/99, दिनॉक 30 अप्रैल, 2011 द्वारा उपरोक्त सन्दर्भित शासनादेश दिनॉक-26 मार्च, 2004 के प्रस्तर-5 में उ0प्र0 लघु उद्योग निगम के पक्ष में प्रदत्त क्रय वरीयता से संबंधित अंश समाप्त करते हुए संशोधन निर्गत किया गया है।

4. उक्त के अतिरिक्त शासनादेश दिनॉक 26 मार्च, 2004 के शेष अंश वर्तमान में यथावत् प्रभावी है, जो निम्नवत है:-

.....2/-

(1) कार्यालय विकास आयुक्त (लघु उद्योग मंत्रालय) भारत सरकार के अर्द्ध शा0पत्रांक-22(1)/2003/ईपी एण्ड एम, दिनांक 29 जुलाई,2003 का अवलोकन करने का कष्ट करें (प्रतिलिपि संलग्न) जिसके द्वारा संलग्न सूची में 358 आइटम्स को क्रय में लघु उद्योग के लिए आरक्षित किया गया है। प्रदेश के औद्योगिक एवं आर्थिक विकास में लघु एवं कुटीर औद्योगिक इकाइयों के योगदान एवं महत्व को देखते हुए तथा प्रदेश में रोजगार के अवसर उपलब्ध कराने की दिशा में इनकी सहभागिता को दृष्टिगत रखते हुए मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि संलग्न सूची में उल्लिखित आयटम्स का क्रय अनिवार्य रूप से लघु औद्योगिक इकाइयों से किया जाय।

(2) कतिपय विभाग विभिन्न उत्पादों की आपूर्ति हेतु विभागीय स्तर पर किये जा रहे मात्रा अनुबन्ध में आमंत्रित निविदाओं में इस प्रकार की तकनीकी शर्तें, यथा उत्पादन क्षमता व टर्न ओवर आदि, लगा देते हैं जिससे एक तरफ सभी लघु औद्योगिक इकाईयां निविदा में प्रतिभाग नहीं कर पाती हैं तथा दूसरी तरफ क्रेता विभाग को प्रतिस्पर्द्धात्मक दरें नहीं मिल पाती हैं। अतः इस प्रकार की कोई भी टेण्डर शर्तें न लगायी जायं जिससे लघु औद्योगिक इकाईयां पूर्ण रूप से प्रतिस्पर्द्धा से बाहर हो जायं। ऐसी शर्तों का लगाया जाना लघु उद्योगों के प्रति भेदभाव, शासकीय क्रय नीति का उल्लंघन एवं वित्तीय अनियमितता की श्रेणी में आयेगा। यह व्यवस्था उन आयटम पर नहीं लागू होगी जिसके पर्याप्त गुणवत्ता के एकल आपूर्तिकर्ता हों जिनसे क्रय का औचित्य दर्शाते हुए लघु उद्योग विभाग से अनुमति प्राप्त कर ली गयी है।

5. उल्लेखनीय है कि लघु उद्योग अनुभाग-5 के शासनादेश संख्या-2293/18-5-98 -52(एसपी)/98, दिनांक 05-12-1998 तथा शासनादेश संख्या-2119/18-5-2002 -52(एसपी)/98, दिनांक 21-11-2002 द्वारा सामग्री क्रय हेतु उद्योग निदेशालय अथवा एन0एस0आई0सी0 के साथ पंजीकृत लघु औद्योगिक इकाईयों को शासकीय टेण्डरों में अर्नेस्ट मनी जमा करने से छूट प्रदान की गयी है।

6. शासन के संज्ञान में यह तथ्य आया है कि भारत सरकार/राज्य सरकार की क्रय नीतियों के अनुसार निर्गत शासनादेश दिनांक 26 मार्च,2004 के अंश, जो उपरोक्त प्रस्तर-4 में उल्लिखित हैं, का तथा उपरोक्त प्रस्तर-5 में उल्लिखित शासनादेशों का अनुपालन नहीं किया जा रहा है। यह स्थिति खेदजनक है। अतः अनुरोध है कि कृपया उपरोक्त प्रस्तर-4 एवं 5 में उल्लिखित शासनादेशों/आदेशों/ निर्देशों का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित किया जाय। इन आदेशों का उल्लंघन वित्तीय अनियमितता की श्रेणी में आयेगा तथा इस प्रकार के प्रकरण शासन के संज्ञान में आने पर संबंधित क्रेता विभाग के उत्तरदायी अधिकारियों के विरुद्ध कार्यवाही के लिए विवश होना पड़ेगा।

संलग्नक-यथोपरि।

भवदीय,

आलोक रंजन
मुख्य सचिव।

संख्या एवं दिनांक उपरोक्तानुसार

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित-

1- शासन के समस्त प्रमुख सचिव/सचिव को इस आशय से प्रेषित कि वे कृपया अपने

.....3/-

अधीनस्थ समस्त विभागाध्यक्षों कार्यालयाध्यक्षों/निगमों/उपक्रमों/परिषदों/प्राधिकरणों /स्वायत्तशासी संस्थाओं को शासनादेश के अनुपालन हेतु सम्यक निर्देश जारी करने का कष्ट करें ।

2- प्रमुख सचिव, सार्वजनिक उद्यम विभाग को इस आशय से प्रेषित कि समस्त निगमों/उपक्रमों को शासनादेश के अनुपालन हेतु निर्देश जारी करने का कष्ट करें।

3- महालेखाकार, उ0प्र0, इलाहाबाद।

4- प्रबन्ध निदेशक, उ0प्र0 लघु उद्योग निगम लिमिटेड, कानपुर।

5- गार्ड फाइल।

आज्ञा से

(विजय कान्त दुबे)
विशेष सचिव।

प्रेषक,

डा0 जे0एन0 चैम्बर,
प्रमुख सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

संख्या—950 / 18—5—09—9(एस.पी.) / 95

सेवा में,

आयुक्त एवं निदेशक उद्योग,
उत्तर प्रदेश, कानपुर।

लघु उद्योग अनुभाग—5 :

लखनऊ :: दिनाँक:: 25 अगस्त,2009

विषय:—शासकीय सामग्री क्रय में प्रदेश की औद्योगिक इकाइयों को प्रदत्त मूल्य वरीयता / क्रय वरीयता की नीति को तीन वर्षों के लिये और बढ़ाया जाना।

महोदय,

उपर्युक्त विषय पर मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि प्रदेश के औद्योगिकीकरण को गति देने एवं अधिक से अधिक पूंजी विनियोजन को आकर्षित करने तथा प्रदेश को विकास की ओर ले जाने और प्रदेश की लघु एवं कुटीर औद्योगिक इकाइयों को प्रोत्साहित करने, उन्हें विपणन की सुविधा उपलब्ध कराने तथा प्रदेश के औद्योगिक विकास के हित के उद्देश्य से मूल्य वरीयता / क्रय वरीयता की नीति के शासनादेश संख्या—1251 / 18— 5—06—9(एस.पी.) / 95, दिनांक 22 सितम्बर, 2006 को शासनादेश संख्या—706 / 18—5—03—9(एस.पी.) / 95, दिनांक 11 जून, 2003 में उल्लिखित शर्तों / प्राविधानों / प्रतिबन्धों के अधीन दिनांक 01 अप्रैल, 2009 से दिनांक 31 मार्च, 2012 तक विस्तारित किये जाने का निर्णय शासन द्वारा लिया गया है।

2— यह आदेश वित्त विभाग के अशासकीय पत्र संख्या—ई—6—560 / दस—2009,दिनांक 25 अगस्त, 2009 में प्राप्त उनकी सहमति से जारी किया जा रहा है।

भवदीय,
डा0 जे0 एन0 चैम्बर
प्रमुख सचिव।

संख्या—950(1) / 18—5—09—9(एस.पी.) / 95,तद्दिनाँक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:—

1—समस्त प्रमुख सचिव / सचिव, उत्तर प्रदेश शासन को इस आशय से प्रेषित कि वे कृपया अपने अधीनस्थ समस्त विभागाध्यक्ष / कार्यालयाध्यक्ष, निगमों व प्राधिकरणों को शासनादेश के अनुपालन हेतु सम्यक निर्देश जारी कराने का कष्ट करें।

2—महालेखाकार(आडिट) प्रथम / द्वितीय,उत्तर प्रदेश, इलाहाबाद / समस्त विभागाध्यक्ष / कार्यालयाध्यक्ष, उत्तर प्रदेश / अधिशासी निदेशक, उद्योग बन्धु को वेबसाईट पर अपलोड किये जाने के संदर्भ में प्रेषित।

3—प्रमुख सचिव, सार्वजनिक उद्यम विभाग(सार्वजनिक उद्यम अनुभाग—1) को इस आशय से प्रेषित कि वह कृपया समस्त निगमों / उपक्रमों को शासनादेश के अनुपालन हेतु निर्देश जारी कराने का कष्ट करें।

4—निदेशक, स्थानीय निधि लेखा परीक्षा, उ0प्र0, इलाहाबाद।

5—वित्त(व्यय—नियंत्रण) अनुभाग—6 / वित्त(लेखा) अनुभाग—1।

6—सचिवालय के समस्त अनुभाग / गार्ड फाइल।

7—मुख्य लेखा परीक्षा अधिकारी,सहकारी समितियाँ एवं पंचायतें,उ0प्र0इन्दिरा भवन,अशोक मार्ग,लखनऊ।

आज्ञा से,
(दया शंकर सिंह)
अनु सचिव।

संख्या-/18-5-2006-9(एस0पी0)/95

प्रेषक,

गोविन्दन नायर,
प्रमुख सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

आयुक्त एवं निदेशक उद्योग,
उत्तर प्रदेश,कानपुर।

लघु उद्योग अनुभाग-5 लखनऊ:: दिनांक:: 22 सितम्बर,2006

विषय:- *शासकीय सामग्री क्रय में प्रदेश की औद्योगिक इकाईयों को प्रदत्त मूल्य वरीयता/क्रय वरीयता की नीति को तीन वर्षों के लिए और बढ़ाया जाना।*

महोदय,

उपर्युक्त विषय पर मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि औद्योगिक एवं आर्थिक विकास में लघु एवं कुटीर औद्योगिक इकाईयों के योगदान व महत्व को देखते हुए तथा प्रदेश में रोजगार के अवसर उपलब्ध करने की दिशा में इनकी सहभागिता को दृष्टिगत रखते हुए शासनादेश संख्या-706/18-5-2003-9(एस0पी0)-95, दिनांक 11 जून, 2003 द्वारा शासकीय सामग्री क्रय में प्रादेशिक इकाईयों को मूल्य वरीयता/ क्रय वरीयता की नीति परिचालित की गयी थी जिसकी अवधि दिनांक 31 मार्च 2006 तक निर्धारित थी। उक्त के क्रम में आपके पत्रांक 3128/7-एसपीएस/एफ-समीक्षा बैठक/2006, दिनांक 21 जुलाई,2006 में किये गये प्रस्ताव पर शासन ने सम्यक् विचारोपरान्त उक्त सन्दर्भित शासनादेश दिनांक 11 जून,2003 द्वारा परिचालित की गयी मूल्य वरीयता/क्रय वरीयता की नीति को दिनॉक 31-3-2009 तक बढ़ाये जाने का निर्णय लिया है।

2- यह आदेश वित्त विभाग के अशासकीय पत्र संख्या-ई-6-799/06 दिनांक 21-9-2006 में प्राप्त उनकी सहमति से जारी किया जा रहा है।

A.D.U.नि (SPS)

25/9/2006

A.D.U.नि (Gen)

भवदीय,

(गोविन्दन नायर)
प्रमुख सचिव।

2006

संख्या 706 / 18–5–2003–9(एस0पी0) / 95

प्रेषक,

जी0पटनायक,
सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

उद्योग निदेशक
उत्तर प्रदेश, कानपुर।

लघु उद्योग अनुभाग–5 लखनऊः दिनांक 11 जून, 2003

विषयः शासकीय सामग्री क्रय में प्रदेश की ओद्योगिक इकाइयों को प्रदत्त मूल्य वरीयता / क्रय वरीयता की नीति को तीन वर्षो के लिए और बढ़ाया जाना।

महोदय,

उपर्युक्त विषय पर मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि प्रदेश के औद्योगिक एवं आर्थिक विकास में लघु एवं कुटीर औद्योगिक इकाइयों के योगदान व महत्व को देखते हुए तथा प्रदेश में रोजगार के अवसर उपलब्ध कराने की दिशा में इनकी सहभागिता को दृष्टिगत रखते हुए शासनादेश संख्या–73 / 18–5–2000–9(एस.पी.) / 95, दिनांक 18 जनवरी, 2000 द्वारा शासकीय सामग्री क्रय में प्रादेशिक इकाइयों को मूल्य वरीयता / क्रय वरीयता की नीति परिचालित की गयी थी जिसकी अवधि दिनांक 31 मार्च, 2003 तक निर्धारित थी। उक्त के क्रम में आपके पत्रांक 10502 / एसपीएस / टी–7 / एफ / 12(11) / मू0वी / क0वरी0 / 2003, दिनांक 29 जनवरी, 2003 में किये गये प्रस्ताव पर शासन ने सम्यक विचारोपरान्त उक्त संदर्भित शासनादेश दिनांक 18 जनवरी, 2000 द्वारा परिचालित की गयी मूल्य वरीयता / क्रय वरीयता की नीति को पूर्व के अनुभवों तथा परिवर्तित आर्थिक परिवेश में सुधारात्मक व्यवस्थायें एवं प्राविधान प्रतिपादित करते हुए नवीन संशोधित नीति निम्नवत निर्गत करने का निर्णय लिया है।

पूर्व की भॉति शब्दावली ''मूल्य वरीयता'' से तात्पर्य मात्रा अनुबन्ध में दी जाने वाली वरीयता से होगा। इसी प्रकार ''क्रय वरीयता'' से तात्पर्य दर अनुबन्ध के अन्तर्गत दी जाने वाली वरीयता से होगा।

1–प्रदेशीय इकाइयों को मूल्य वरीयता की नीति :–

1. दरों की तुलना बिक्रीकर रहित एफ0ओ0आर0 डेस्टीनेशन के आधार पर की जायेगी।
2. प्रदेश के लघु एवं कुटीर इकाइयों को प्रदेश के बाहर की लघु एवं कुटीर इकाइयों की तुलना में 10 प्रतिशत मूल्य वरीयता दी जायेगी।
3. प्रदेश की लघु एवं कुटीर इकाइयों को प्रदेश के बाहर की वृहद एवं मध्यम इकाइयों के सापेक्ष्य 15 प्रतिशत मूल्य वरीयता दी जायेगी।
4. प्रदेश की लघु एवं कुटीर इकाइयों को प्रदेश के मध्यम एवं वृहद इकाइयों के सापेक्ष्य 5 प्रतिशत मूल्य वरीयता दी जायेगी।
5. प्रदेश की मध्यम एवं वृहद इकाइयों को प्रदेश के बाहर की मध्यम एवं वृहद इकाइयों के सापेक्ष्य 5 प्रतिशत मूल्य वरीयता दी जायेगी।

2— प्रदेशीय इकाइयों को क्रय वरीयता की नीति :—

1. जिन उत्पादों के सम्बंध में प्रदेश में पर्याप्त आई0एस0आई0 क्षमता उपलब्ध है, उनके आई0एस0आई0 मार्क उत्पादों को ही क्रय किया जाय। ऐसे आइटम्स जिनके आई0एस0आई0 मार्क उपलब्ध नही हैं, उनके क्रय किये जाने हेतु आमंत्रित की जाने वाली निविदाओं में वस्तु की गुणवत्ता का मानक निर्धारित कर दिया जाय।

(क) प्रदेशीय एवं प्रदेश के बाहर के सभी प्रकार की इकाइयां यदि किसी निविदा में भाग लें और प्रदेश के बाहर की इकाइयों की दरें न्यूनतम हों, तो उक्त परिस्थिति में प्रदेश के बाहर की न्यूनतम दर देने वाली इकाई एवं प्रदेश की 10 प्रतिशत अधिक दर की परिधि में आने वाली ऐसी इकाइयॉ जो न्यूनतम दर पर आपूर्ति की सहमति दें, को अधिसूचित किया जाय।

(ख) प्रदेशीय एवं प्रदेश के बाहर की सभी प्रकार की इकाइयॉ निविदा में यदि भाग लें तथा प्रदेशीय इकाई की दर न्यूनतम हो तो उक्त परिस्थिति में इस न्यूनतम दर से 10 प्रतिशत अधिक दर की परिधि में आने वाली सिर्फ प्रदेशीय इकाइयॉ जो न्यूनतम दर पर आपूर्ति की सहमति दें, को अधिसूचित किया जाय।

(ग) यदि किसी निविदा में केवल प्रदेशीय इकाइयॉ ही भाग लें तो प्राप्त न्यूनतम दर से 10 प्रतिशत अधिक दर की परिधि में आने वाली इकाइयॉ जो न्यूनतम दर पर आपूर्ति की सहमति दें, को अधिसूचित किया जाय।

(घ) जिन निविदाओं में प्रदेशीय एवं प्रदेश के बाहर की इकाइयॉ भाग लें तथा प्रदेश के बाहर की इकाई की दर न्यूनतम हो एवं कोई भी प्रदेशीय इकाई 10 प्रतिशत अधिक दर की सीमा की परिधि में न आती हो तो ऐसी स्थिति में प्रदेश के बाहर की इकाइयों में से न्यूनतम दर कोट करने वाली इकाइ को तथा उस दर पर आपूर्ति की सहमति देने वाली अन्य इकाइयों को आवश्यकता अनुसार अधिसूचित किया जाय।

(च) दर अनुबन्ध में इकाइयों द्वारा प्रस्तुत दरों की तुलना व्यापार कर रहित दरों पर की जायेगी।

(छ) दर अनुबन्ध करते समय यदि किसी ऐसी निविदा जिसमें केवल प्रदेश के बाहर की इकाइयॉ भाग लेती हैं तो उनमें न्यूनतम दर देने वाली इकाई की तुलना में 10 प्रतिशत क्रय वरीयता अन्य बाहरी इकाइयों को दी जायेगी। क्रय वरीयता का तात्पर्य यह है कि न्यूनतम दर से 10 प्रतिशत अधिक दर रेंज में आने वाली इकाइयॉ यदि न्यूनतम दर पर आपूर्ति करने के लिए सहमत हों, तो उन्हें दर अनुबन्ध में सम्मिलित कर लिया जायेगा। यह सुविधा उन निविदाओं में उपलब्ध न होगी जिसमें प्रदेश की कोई इकाई भाग लेती है।

3— राज्य सरकार के अधीनस्थ सार्वजनिक क्षेत्र के अधिष्ठानों यथा निगमों/परिषदों आदि का सामग्री क्रय नियमों के अन्तर्गत दर अनुबन्ध पर क्रय की सुविधा शासनादेश संख्या—878(एस0पी0)18—10—66(एस0पी0)/72 दिनांक 24 अक्टूबर, 1973 द्वारा पूर्व में ही प्रदत्त हैं, जिसके तहत उद्योग निदेशालय के दर अनुबन्ध में अधिसूचित फर्म में उक्त अधिष्ठानों को भी सामग्री आपूर्ति करने के लिए बाध्य है । यह नीति पूर्ववत रहेगी।

4— मूल्य वरीयता/क्रय वरीयता की यह नीति दि0 31 मार्च, 2006 तक लागू रहेगी।

5— मूल्य वरीयता/क्रय वरीयता की नीति का पालन करते समय टेण्डर इत्यादि के सम्बंध में वित्त विभाग द्वारा समय—समय पर जारी किये गये शासनादेशों एवं अन्य सुसंगत वित्तीय नियमों का अनिवार्य रूप से अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।

6— यह आदेश वित्त विभाग की अशासकीय पत्र संख्या—ई—6—573/दस—03, दिनांक 10 जून, 2003 में प्राप्त उनकी सहमति से जारी किया जा रहा है।

भवदीय,
(जी0 पटनायक)
सचिव

संख्या 706 (1)/18—5—03—9(एस0पी0)/95 तददिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :—

1. समस्त प्रमुख सचिव/सचिव,उ0प्र0 शासन को इस आशय से प्रेषित कि वे कृपया अपने अधीनस्थ समस्त विभागाध्यक्ष/कार्यालयाध्यक्ष, निगमों व प्राधिकरणों को शासनादेश अनुपालन हेतु सम्यक निर्देश अपने स्तर से जारी करें।
2. महालेखाकार (आडिट) प्रथम/आडिट द्वितीय, उ0प्र0 इलाहाबाद।
3. समस्त विभागाध्यक्ष/कार्यालयाध्यक्ष,उ0प्र0।
4. सचिव, सार्वजनिक उद्यम अनुभाग—1 को इस आशय से प्रेषित कि वे कृपया समस्त निगमों/उपक्रमों को शासनादेश के अनुपालन हेतु निर्देश जारी करें।
5. निदेशक स्थानीय निधि लेखा परीक्षा, उ0प्र0 इलाहाबाद।
6. वित्त (व्यय नियंत्रण) अनुभाग—6/वित्त (लेखा) अनुभाग—1
7. सचिवालय के समस्त अनुभाग
8. मुख्य लेखा परीक्षा अधिकारी, सहकारी समितियॉ एवं पंचायतें,उ0प्र0 इन्दिरा भवन, अशोक मार्ग, लखनऊ।

आज्ञा से

(राजनाथ)
अनु सचिव

Note: Use E-mails - Save Paper - Protect Trees & Go Greener

TECHNICAL ASSOCIATES LTD LUCKNOW INDIA 91-522-4053601

संख्या-336/18-2-2010

KIND ATTN: PRAKASH ...

05222615196

प्रेषक,
डा० जे०एन० चैम्बर,
प्रमुख सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,
समस्त प्रमुख सचिव/सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

लघु उद्योग अनुभाग-2 लखनऊ: दिनांक: 26 फरवरी, 2010

विषय:-टेण्डर/कोटेशन की क्रय प्रक्रिया में भाग लेने वाली फर्मों/प्रतिष्ठानों की दरों की तुलना वैट/केन्द्रीय बिक्रीकर रहित दरों पर किया जाना तथा इन फर्मों/प्रतिष्ठानों का प्रदेशीय वाणिज्य कर/केन्द्रीय बिक्रीकर पंजीयन की अनिवार्यता होना।

महोदय,

उपर्युक्त विषय के संबंध में अवगत कराना है कि टेण्डर/कोटेशन की क्रय प्रक्रिया में वाणिज्य कर विभाग में पंजीकृत फर्मों/प्रतिष्ठानों द्वारा ही भाग लिये जाने तथा आमंत्रित टेण्डर/कोटेशन में दरों की तुलना बिक्रीकर रहित(वैट रहित) दरों के आधार पर किये जाने की व्यवस्था है। इस संबंध में लघु उद्योग अनुभाग-5 के शासनादेश संख्या-706/18-5-2003-9(एसपी)/95 दिनांक 11-6-2003 के बिन्दु संख्या-1(1) में दरों की तुलना बिक्रीकर रहित (वैट रहित) दरों के आधार पर किये जाने की व्यवस्था है, किन्तु कतिपय विभागों द्वारा टेण्डर/कोटेशन की क्रय प्रक्रिया में उक्त क्रय नियमों का पूर्णतः पालन नहीं किया जाता है, जो उचित/नियमानुकूल नहीं है।

2- अतः इस सम्बन्ध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि टेण्डर/कोटेशन की क्रय प्रक्रिया में भाग लेने वाली केवल उन्हीं फर्मों/प्रतिष्ठानों के टेण्डर/कोटेशन स्वीकार किये जायें व आपूर्ति आदेश जारी किये जायें जो उ० प्र० वाणिज्य कर विभाग के अन्तर्गत पंजीकृत हों अथवा अन्य प्रदेशों की फर्मों/प्रतिष्ठानों की स्थिति में सम्बन्धित प्रदेश में केन्द्रीय बिक्रीकर अधिनियम के अन्तर्गत पंजीकृत हों। साथ ही साथ आमंत्रित टेण्डर/कोटेशन में दरों की तुलना प्रदेश/प्रदेश के बाहर (यथास्थिति) लागू वैट/केन्द्रीय बिक्रीकर रहित [illegible]।

3- कृपया उक्त आदेशों का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित कराने हेतु अपने अधीनस्थ समस्त विभागाध्यक्ष, कार्यालयाध्यक्ष, प्रबन्ध निदेशक/मुख्य कार्यपालक अधिकारी/कार्यकारी अधिकारी, समस्त सार्वजनिक उपक्रम/निगम/परिषद/प्राधिकरण/स्वायत्तशासी संस्थाओं को शासनादेश के अनुपालन हेतु सम्यक निर्देश जारी करने का कष्ट करें।

4- उक्त आदेशों का उल्लंघन वित्तीय अनियमितता की श्रेणी में आयेगा।

भवदीय,

डा० जे० एन० चैम्बर
प्रमुख सचिव।

संख्या-336(1)/18-2-2010-तद्दिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1- आयुक्त एवं निदेशक उद्योग, उत्तर प्रदेश, कानपुर।
2- समस्त मण्डलायुक्त/जिलाधिकारी, उत्तर प्रदेश।
3- महालेखाकार, उत्तर प्रदेश, इलाहाबाद।

आज्ञा से,
(राम अधीर सिंह)
[illegible]

FROM : PHONE NO. : 05222615196 JUN. 10 2010 06:32PM P1

Date of Receipt 17.11.09 No. 16968
Through: Courier/ Regd / Others

19/11/09

प्रेषक,

आयुक्त एवं निदेशक उद्योग,उ0प्र0,
सामग्री क्रय अनुभाग–7,कानपुर।

सेवा में,

1–समस्त विभागाध्यक्ष,
कार्यलयाध्यक्ष,उ0प्र0।

2–प्रबन्ध निदेशक/मुख्य कार्यपालक अधिकारी,
समस्त शासकीय नियन्त्रणाधीन निगम /परिषद,
प्राधिकरण/स्वायन्तशासी संस्थायें, उ0प्र0।

पत्रांक: /एसपी0एस–7 /एफ/09–10 कानपुर:दिनांक: .2009

विषय:– <u>शासकीय सामग्री के क्रय में औद्योगिक इकाइयों को मूल्य वरीयता/क्रय वरीयता उपलब्ध कराय जाना।</u>

महोदय,

इण्डियन इण्डस्ट्रीज एसोसिएशन, उ0प्र0, द्वारा दिये गये प्रत्यावेदन में बताया गया है कि सभी सरकारी विभागों/निगमों/उपकमों द्वारा विभिन्न प्रकार की सामग्रियों/उपकरणों का क्रय बडी मात्रा में किया जाता है। पूर्व में प्रदेश की इकाइयों को प्रदेश के बाहर की इकाइयों की अपेक्षा मूल्य वरीयता व क्रय वरीयता उपलब्ध थी किन्तु वर्तमान में विभागों/ निगमों /उपकमों द्वारा निविदाओं के आधार पर न्यूनतम मूल्य पर क्रय किया जा रहा है जिसमें उनके मामलों में प्रदेशीय इकाईयों का मूल्य कम होने पर भी उनकी निविदा इस कारण स्वीकार नही हो पाती है कि प्रदेश के बाहर की इकाइयों को केवल 2 प्रतिशत केन्द्रीय बिकीकर देना होता है जबकि प्रदेश की इकाइयों को उनके मूल्य पर 13.5 प्रतिशत कर व अतिरिक्त कर देना पड़ता है। फलस्वरूप वस्तु का मूल्य कम होने पर भी प्रदेश के इकाई का निविदा मूल्य अधिक हो जाता है। अनुरोध किया गया है कि प्रदेश की व प्रदेश के बाहर की इकाइयों के निविदा मूल्य की तुलना केन्द्रीय बिकी कर व प्रदेशीय वैट घटाने के पश्चात किया जाये।

2– पूर्व में शासनादेश संख्या 560/18–796–9(एस0पी0)/94 दिनांक 7.6.96 द्वारा राज्य सरकार की क्रय वरीयता व मूल्य वरीयता नीति घोषित की गयी थी बाद में समय समय पर उक्त शासनदेशों के निर्देशों का पालन करने के निर्देश दिये जाते रहें हैं। शासनादेश संख्या 73/18–5–2000–9 (एस0पी0)95 दिनांक 18.01.2000 द्वारा पुनः उक्त निर्देशों को पालन करने के निर्देश जारी किये गये जिसके अनुसार प्रदेश की इकाइयों को मूल्य वरीयता/क्रय वरीयता नीति के अन्तर्गत निम्न सुविधाएं दी गयी।

क– दरों की तुलना बिकी कर रहित एफओआर डेस्टीनेशन के आधार पर की जायेगी।

ख– प्रदेश की लघु इकाइयों को प्रदेश के बाहर की लघु इकाइयों की तुलना में 10 प्रतिशत तथा प्रदेश के बाहर की मध्यम एवं वृहत् इकाइयों की तुलना में 15 प्रतिशत तथा प्रदेश की मध्यम एवं वृहत इकाइयों की तुलना में 5 प्रतिशत मूल्य वरीयता दी जायेगी।

ग– प्रदेश की मध्यम वृहत् इकाइयों को प्रदेश के बाहर की मध्यम एवं वृहद् इकायों के सापेक्ष 5 प्रतिशत मूल्य वरीयता दी जायेगी।

घ– प्रदेश की लघु एवं कुटीर इकाइयों को प्रदेश के बाहर की इकाइयों की तुलना में 10 प्रतिशत क्रय वरीयता दी जायेगी। यदि प्रदेश की लघु एवं कुटीर इकाइयों का मूल्य बाहर की इकाइयों की अपेक्षा 10 प्रतिशत अधिक है तो उनको यह सुविधा दी जायेगी कि निविदा खुलने के बाद न्यूनतम दर पर आपूर्ति करने पर सहमति दे। यदि किसी निविदा में प्रदेश के बाहर की इकाइयाँ ही भाग लेती हैं तो प्रदेश के बाहर की इकाईयों को भी क्रय वरीयता का लाभ अनुमन्य होगा।

3– शासनादेश सं0 706 दिनांक 11.06.03 तथा सं0 1261 दिनांक 22.09.06 द्वारा जारी मूल्य वरीयता क्रय वरीयता नीति को शासनादेश सं0 950/18–5–09–9(एस0पी0)/95 दिनांक 25.08.09 द्वारा अग्रिम 3 वर्षों के लिये पुनः बढा दिया गया है। उक्त शासनादेशों की प्रति अनुपालन हेतु संलग्न कर प्रेषित की जा रही है।

अतः अनुरोध है कि क्रय वरीयता/मूल्य वरीयता के सम्बन्ध में पूर्व में जारी किये गये शासकीय निर्देशों का अक्षरशः अनुपालन सुनिश्चित किया जाये।

संलग्नक– यथोक्त।

भवदीय,

(त्रियुगी नाथ शुक्ला)
संयुक्त निदेशक उद्योग(क्रय)
कृते आयुक्त एवं निदेशक उद्योग, उ0प्र0।

सं0 762– तद् दिनांक 11-11-09

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1– अधिशासी निदेशक उद्योग बन्धु 12 माल एवेन्यू लखनऊ को उनके पत्र सं0 उ0ब0/एन0 सी0एम0/09–10/आई0आई0ए/358 दिनांक अक्टूबर 30,2009 के सन्दर्भ में।

2– अध्यक्ष इण्डियन इण्डस्ट्रीज एसोसिएशन आई0आई0ए भवन विभूति खण्ड गोमती नगर लखनऊ।

(त्रियुगी नाथ शुक्ला)
संयुक्त निदेशक उद्योग(क्रय)
कृते आयुक्त एवं निदेशक उद्योग, उ0प्र0।

प्रेषक,

आयुक्त, एवं निदेशक उद्योग, उ0प्र0,
सामग्री कय अनुभाग–7,
मुख्यालय, कानपुर

सेवा में,

अधिशाषी निदेशक,
इण्डियन इण्डस्ट्रीज एसोसिएशन,
आई0आई0ए0 भवन, विभूति खण्ड, गोमतीनगर,
लखनऊ–226010।

पत्रांक 598 /7–एसपीएस/ दिनांक : कानपुर : 10-9-~~अगस्त~~ 09

विषय :– सरकारी विभागों व सरकारी उपकमों/निगमों द्वारा आमंत्रित निविदाओं की दरों के मूल्यांकन के लिए तुलनात्मक विवरण में यू0पी0 वैट/केन्द्रीय बिकी कर को छोड़कर मूल्य को आधार मानने हेतु निवेदन।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक कृपया अपने पत्र संख्या 2बी/7883 दिनांक 20–08–09 का संदर्भ लेने का कष्ट करें जो सरकारी विभागों व सरकारी उपकमों/निगमों द्वारा आमंत्रित निविदाओं की दरों के मूल्यांकन के लिए तुलनात्मक विवरण में यू0पी0 वैट/केन्द्रीय बिकीकर को छोड़कर आधार मानने के सम्बन्ध में है।

उपरोक्त संदर्भ में अवगत कराना है कि निदेशालय के समाग्री कय अनुभाग में आमंत्रित सभी निविदाओं में वस्तुओं की दरों का मूल्यांकन वैट/केन्द्रीय बिकीकर को छोड़कर तैयार किए गये विवरण के आधार पर ही किया जाता है।

भवदीया,

(रीता विशाल)
संयुक्त निदेशक उद्योग(कय)
कृते–आयुक्त एंवं निदेशक उद्योग,उ0प्र0।

संख्या-/ /18-5 2006-9(एस0पी0)/95

प्रेषक,

गोविन्दन नायर,
प्रमुख सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

आयुक्त एवं निदेशक उद्योग,
उत्तर प्रदेश,कानपुर।

लघु उद्योग अनुभाग-5

लखनऊ:: दिनांक:: 22 सितम्बर,2006

विषय:- *शासकीय सामग्री क्रय में प्रदेश की औद्योगिक इकाईयों को प्रदत्त मूल्य वरीयता/क्रय वरीयता की नीति को तीन वर्षो के लिए और बढ़ाया जाना ।*

महोदय,

उपर्युक्त विषय पर मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि औद्योगिक एवं आर्थिक विकास में लघु एवं कुटीर औद्योगिक इकाईयों के योगदान व महत्व को देखते हुए तथा प्रदेश में रोजगार के अवसर उपलब्ध करने की दिशा में इनकी सहभागिता को दृष्टिगत रखते हुए शासनादेश संख्या-706/18-5-2003-9(एस0पी0)-95, दिनांक 11 जून, 2003 द्वारा शासकीय सामग्री क्रय में प्रादेशिक इकाईयों को मूल्य वरीयता/ क्रय वरीयता की नीति परिचालित की गयी थी जिसकी अवधि दिनांक 31 मार्च 2006 तक निर्धारित थी। उक्त के क्रम में आपके पत्रांक 3128/7-एसपीएस/एफ-समीक्षा बैठक/2006, दिनांक 21 जुलाई,2006 में किये गये प्रस्ताव पर शासन ने सम्यक् विचारोपरान्त उक्त सन्दर्भित शासनादेश दिनांक 11 जून,2003 द्वारा परिचालित की गयी मूल्य वरीयता/क्रय वरीयता की नीति को दिनॉक 31-3-2009 तक बढ़ाये जाने का निर्णय लिया है।

2- यह आदेश वित्त विभाग के अशासकीय पत्र संख्या-ई-6-799/06 दिनांक *21-9-2006* में प्राप्त उनकी सहमति से जारी किया जा रहा है।

Add.U.Ni (SPS)

25/9/2006

Add.Ni (Gen)

भवदीय,

(गोविन्दन नायर)
प्रमुख सचिव।

Ex(F)

संख्या (1)/18-5-2006-2(एस0पी0)/95 तद्दिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1- समस्त प्रमुख सचिव / सचिव, उत्तर प्रदेश शासन को इस आशय से प्रेषित कि वे कृपया अपने अधीनस्थ समस्त विभागाध्यक्ष/ कार्यालयाध्यक्ष, निगमों व प्राधिकरणों को शासनादेश अनुपालन हेतु सम्यक निर्देश अपने स्तर से जारी करें।
2- महालेखाकार (आडिट) प्रथम /आडिट द्वितीय,उ0प्र0,इलाहाबाद।
3- समस्त विभागाध्यक्ष/कार्यालयाध्यक्ष, उत्तर प्रदेश।
4- सचिव, सार्वजनिक उद्यम अनुभाग-1 को इस आशय से प्रेषित कि वे कृपया समस्त निगमों/उपक्रमों को शासनादेश के अनुपालन हेतु निर्देश जारी करें।
5- निदेशक, स्थानीय निधि लेखा परीक्षा, उ0प्र0 इलाहाबाद।
6- वित्त (व्यय नियंत्रण) अनुभाग-6 / वित्त (लेखा) अनुभाग-1।
7- सचिवालय के समस्त अनुभाग।
8- मुख्य लेखा परीक्षा अधिकारी, सहकारी समितियाँ एवं पंचायतें, उ0प्र0, इन्दिरा भवन, अशोक मार्ग, लखनऊ।

आज्ञा से,

(श्रीराम जयन्त)
उप सचिव।

संख्या-490/18-5-2004-715/99

प्रेषक,

बी0के0 दीवान,
मुख्य सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

उद्योग निदेशक,
उत्तर प्रदेश, कानपुर।

प्रबन्ध निदेशक,
उ0प्र0 लघु उद्योग निगम लि0, कानपुर।

समस्त विभागाध्यक्ष/कार्यालयाध्यक्ष
उत्तर प्रदेश।

प्रबन्ध निदेशक/मुख्य कार्यपालक अधिकारी, समस्त शासकीय नियंत्रणाधीन निगम/परिषद /प्राधिकरण/स्वायतशासी संस्थाएँ, उत्तर प्रदेश।

लघु उद्योग अनु0-5 लखनऊ: दिनाँक: 26 मार्च, 2004

विषय: लघु उद्योग इकाईयों से सामग्री क्रय हेतु भारत सरकार लघु उद्योग मंत्रालय द्वारा आरक्षित किए गए 358 आइटम्स को क्रय में लघु उद्योगों के लिए आरक्षित किए जाने एवं प्रदेश सरकार के क्रय सम्बंधी आदेशों का अनुपालन किए जाने के सम्बंध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक कार्यालय विकास आयुक्त (लघु उद्योग मंत्रालय) भारत सरकार के अर्द्धशा0पत्रॉक-22(1)/2003/ईपी एण्ड एम, दिनॉक 29 जुलाई, 2003 का अवलोकन करने का कष्ट करें (प्रतिलिपि संलग्न) जिसके द्वारा संलग्न सूची में 358 आइटम्स को लघु उद्योग इकाईयों से क्रय हेतु आरक्षित किया गया है। प्रदेश के औद्योगिक एवं आर्थिक विकास में लघु एवं कुटीर औद्योगिक इकाईयों के योगदान एवं महत्व को देखते हुए तथा प्रदेश में रोजगार के अवसर उपलब्ध कराने की दिशा में इनकी सहभागिता को दृष्टिगत रखते हुए मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि संलग्न सूची में उल्लिखित आइटम्स का क्रय अनिवार्य रूप से लघु औद्योगिक इकाईयों से ही किया जाए।

2. शासन के संज्ञान में यह भी तथ्य आया है कि शासन द्वारा निर्धारित मूल्य वरीयता/क्रय वरीयता नीति का शासन के कतिपय विभागों, राज्य सरकार के उपक्रमों तथा अन्य प्रदेशीय संस्थाओं द्वारा पालन नहीं किया जा रहा है, जिससे प्रदेश में राजस्व की हानि होती है तथा यह कार्य वित्तीय अनियमितता की श्रेणी में आता है। प्रदेश की औद्योगिक इकाईयों को मूल्य वरीयता/क्रय वरीयता प्रदान न करना केवल प्रदेश के औद्योगिक विकास में बाधक ही नहीं है, वरन पूर्व में जारी किए गए विभिन्न शासनादेशों का उल्लंघन है। अतः शासनादेश संख्या-706/18-5-2003-9 (एस.पी.)/95, दिनॉक 11 जून, 2003 द्वारा प्रदेश में लागू मूल्य वरीयता/क्रय वरीयता की नीति का अनिवार्य रूप से अनुपालन सुनिश्चित किया जाए।

3. मुझे यह भी कहना है कि शासनादेश संख्या-2275/18-5-98-15 (एसपी)/9/92टीसी दिनॉक 07 दिसम्बर, 1998 द्वारा उद्योग निदेशालय के दर अनुबन्ध पर उपलब्ध सामग्री का क्रय विभागीय मात्रा अनुबन्ध के अन्तर्गत किया जाना वर्जित है। इस सम्बंध में तत्कालीन मुख्य सचिव महोदय की ओर से शासनादेश संख्या-2917/18-5-2000-49(एसपी)/2000, दिनॉक 20.12.2000 द्वारा पुनः निर्देशित किया गया है। कृपया उक्त आदेशों का अनुपालन कड़ाई से सुनिश्चित किया जाए।

4. प्रायः यह भी देखने में आता है कि कतिपय विभाग विभिन्न उत्पादों की आपूर्ति हेतु विभागीय स्तर पर किए जा रहे मात्रा अनुबन्ध में आमंत्रित निविदाओं में इस प्रकार की तकनीकी शर्तें यथा उत्पादन क्षमता व टर्न ओवर आदि की शर्तें लगा देते हैं जिससे एक तरफ सभी लघु औद्योगिक इकाईयाँ निविदा में प्रतिभाग नहीं कर पाती हैं तथा दूसरी तरफ क्रेता विभाग को प्रतिस्पर्धात्मक दरें नहीं मिल पाती हैं। अतः इस प्रकार की कोई भी टेण्डर शर्तें न लगाई जाएँ जिससे लघु औद्योगिक इकाईयाँ पूर्ण रूप से प्रतिस्पर्धा से बाहर हो जाएं। ऐसी शर्तों का लगाया जाना लघु उद्योगों के प्रति भेदभाव, शासकीय क्रय नीति का उल्लंघन एवं वित्तीय अनियमितता की श्रेणी में आएगा। यह व्यवस्था उन आइटम्स पर नहीं लागू होगी जिसके पर्याप्त गुणवत्ता के एकल आपूर्तिकर्ता हों जिनसे क्रय का औचित्य दर्शाते हुए लघु उद्योग विभाग से अनुमति प्राप्त कर ली गई है।

5. मुझे यह भी कहना है कि राष्ट्रीय लघु उद्योग निगम एवं उत्तर प्रदेश लघु उद्योग निगम लि0 का मूल उद्देश्य प्रदेश की लघु औद्योगिक इकाईयों के उत्पादों को विपणन सहायता प्रदान करना है तथा राष्ट्रीय लघु उद्योग निगम को भारत सरकार द्वारा निम्न सुविधाएँ प्रदान की गई हैं:-

1. निविदा फार्म निःशुल्क उपलब्ध किया जाना।
2. अर्नेस्ट मनी भुगतान से छूट।
3. पंजीकरण में अंकित वित्तीय सीमा तक जमानत की धनराशि से छूट।
4. वृहद उद्योग इकाईयों द्वारा कोट की गई दर पर 15 प्रतिशत वरीयता।

इसी प्रकार उ0प्र0 लघु उद्योग निगम लि0 को सुविधाएँ प्राप्त हैं तथा शासनादेश संख्या-1098/18-5-2000-71क/99, दिनांक 01 जुलाई, 2000 द्वारा समस्त सरकारी विभागों एवं शासकीय नियंत्रणाधीन उपक्रमों/निगमों/प्राधिकरणों/परिषदों एवं स्वायत्तशासी संस्थाओं को निर्देशित किया गया है कि वे अपने प्रयोगार्थ ऐसे आइटम्स जिनका उद्योग निदेशालय से दर अनुबन्ध अथवा मात्रा अनुबन्ध जारी नहीं है और जिनको राष्ट्रीय लघु उद्योग निगम (एनएसआईसी) के पक्ष में आरक्षण/वरीयता प्रदान की गई है, का क्रय उक्त शासनादेश में दिए गए निर्देशानुसार उ0प्र0 लघु उद्योग निगम लि0 के माध्यम से कराया जाए।

कृपया भारत सरकार एवं राज्य सरकार की क्रय नीतियों के अनुसार जारी शासनादेशों का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित किया जाए। इन आदेशों का उल्लंघन वित्तीय अनियमितता की श्रेणी में आएगा तथा इस प्रकार के प्रकरण यदि शासन के संज्ञान में आते हैं तो सम्बंधित विभागाध्यक्ष/प्रबन्ध निदेशक/परियोजना निदेशक/मुख्य कार्यकारी अधिकारी आदि के विरुद्ध कार्यवाही वांछित होगी।

संलग्नक: उपरि।

भवदीय,

(वी0के0 दीवान)
मुख्य सचिव

संख्या- 4394(1)/18-5-2004-71क/99 तद्दिनांक

प्रतिलिपि संलग्नक सहित निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1. शासन के समस्त प्रमुख सचिव/सचिव को इस आशय से प्रेषित कि वे कृपया अपने अधीनस्थ समस्त विभागाध्यक्ष, कार्यालयाध्यक्ष, निगम व प्राधिकरणों को शासनादेश के अनुपालन हेतु सम्यक निर्देश जारी करने का कष्ट करें तथा विभागीय खरीद में इनका अनुपालन सुनिश्चित कराएँ।
2. प्रमुख सचिव, सार्वजनिक उद्यम विभाग को इस आशय से प्रेषित कि समस्त निगमों/उपक्रमों को शासनादेश के अनुपालन हेतु निर्देश जारी करने का कष्ट करें।

3. महालेखाकार, उत्तर प्रदेश।

4. विकास आयुक्त (लघु उद्योग), भारत सरकार को उनके पत्रांक-22(1)/2000-ईपी एण्ड एम./ के क्रम में सूचनार्थ प्रेषित।

आज्ञा से,

(जोहरा चटर्जी)
संयुक्त।

संख्या : 560/18-7-96-8 (एस० पी०)-95

प्रेषक,

अतुल चतुर्वेदी,
सचिव, लघु उद्योग विभाग,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

आयुक्त एवं निदेशक उद्योग,
उ० प्र० (सामग्री क्रय अनुभाग)
कानपुर।

लखनऊ : दिनांक 17 जून, 1996

विषय :—प्रदेश की औद्योगिक इकाईयों को मूल्य वरीयता/क्रय वरीयता दिया जाना।

महोदय,

उद्योग अनुभाग (7)

प्रदेश के औद्योगिक एवं आर्थिक विकास में लघु एवं कुटीर औद्योगिक इकाईयों के योगदान के महत्व को देखते हुए एवं इन इकाईयों द्वारा प्रदेश में रोजगार के अवसर उपलब्ध कराने की सम्भावनाओं को देखते हुए प्रदेश सरकार द्वारा समय-समय पर शासकीय सामग्री क्रय में इन इकाईयों को मूल्य वरीयता एवं क्रय वरीयता दिए जाने की नीति घोषित की जाती रही है। वर्तमान में पूर्व नीति काल बाधित हो चुकी है। यद्यपि नीति को जारी रखने की आवश्यकता अनुभव की गई है फिर भी बदले हुए औद्योगिक एवं आर्थिक वातावरण में इस नीति में कतिपय सुधारों की आवश्यकता अनुभव की गई है जिससे स्वस्थ प्रतिस्पर्धा को बढ़ावा मिले। शासकीय सामग्री क्रय हेतु दरों की तुलना प्रदेश के बाहर की इकाईयों के लिये केन्द्रीय बिक्रीकर सहित दरों पर तथा प्रदेशीय इकाईयों के लिए बिक्रीकर रहित दरों पर की जाती थी। यह अनुभव किया गया है कि तुलना में बिक्रीकर के दरों के कारण अन्तर रखने से गुणवत्ता बनाए रखते हुए, उत्पादन लागत कम करने के उद्देश्य को बढ़ावा नहीं मिलता। मूल्य/क्रय वरीयता नीति में आई० एस० आई० उत्पादों को अलग से वरीयता दिये जाने का औचित्य नहीं है क्योंकि यदि आई० एस० आई० उत्पाद खरीदे जाने हैं, तो इस आवश्यकता का विवरण निविदा में ही दिया जाना चाहिए। पूर्व में क्रय वरीयता रेंज में आने वाली सभी इकाईयों को दरें अनुमन्य कर दी जाती थीं। इससे एक ही उत्पाद की भिन्न-भिन्न दरें अनुबन्धित हो जाती थीं जिससे खरीदकर्ता अधिकारी को निर्णय लेने में कठिनाई होती थी। चूंकि नई इकाईयों को अन्य सुविधायें प्राप्त हैं, अतः पुरानी इकाईयों की तुलना में 4 प्रतिशत अधिक वरीयता देना अब औचित्यपूर्ण नहीं है। अतः इसे समाप्त किया जाता है।

उपरोक्त वर्णित परिस्थितियों में पूर्व में जारी समस्त आदेशों को अतिक्रमित करते हुए शासन द्वारा मूल्य/क्रय वरीयता की नयी नीति निम्न प्रकार निर्धारित की जाती है:—

1—पूर्व की भांति शब्दावली "मूल्य वरीयता" से तात्पर्य भावों के सम्बन्ध में दी जाने वाली वरीयता से होगा। इसी प्रकार "क्रय वरीयता" से तात्पर्य दर अनुबन्ध में सम्मिलित की जाने वाली वरीयता से होगा।

2—प्रदेशीय इकाईयों को मूल्य वरीयता की नीति

(1) दरों की तुलना बिक्रीकर रहित एफ० ओ० आर० डेस्टीनेशन दरों के आधार पर की जायेगी।

(2) प्रदेश के लघु एवं कुटीर इकाईयों को प्रदेश के बाहर की लघु एवं कुटीर इकाईयों की तुलना में 10 प्रतिशत मूल्य वरीयता दी जायेगी।

(3) प्रदेश के लघु एवं कुटीर इकाईयों को प्रदेश के बाहर की वृहत् एवं मध्यम इकाईयों के सापेक्ष 15 प्रतिशत मूल्य वरीयता दी जायेगी।

(4) प्रदेश की लघु एवं कुटीर इकाईयों को प्रदेश की मध्यम एवं वृहत् इकाईयों के सापेक्ष 5 प्रतिशत मूल्य वरीयता दी जायेगी।

(5) प्रदेश की मध्यम व वृहत् इकाईयों को प्रदेश के बाहर की मध्यम व वृहत् इकाईयों के सापेक्ष 5 प्रतिशत मूल्य वरीयता दी जायेगी।

3—प्रदेशीय इकाईयों की क्रय वरीयता की नीति

(1) यदि आई० एस० आई० उत्पादों को खरीदे जाने की आवश्यकता है तो आवश्यकता का विवरण निविदा में ही दे दिया जाय। अलग से आई० एस० आई० उत्पादों को खरीद में वरीयता नहीं होगी।

(2) दर अनुबन्ध करते समय प्रदेश के लघु एवं कुटीर इकाईयों को प्रदेश के बाहर की इकाईयों की तुलना में 10 प्रतिशत क्रय वरीयता दी जायेगी। क्रय वरीयता का अर्थ यह होगा कि न्यूनतम दर से 10 प्रतिशत अधिक दर रेंज में आने वाली प्रदेश की लघु एवं कुटीर इकाईयों को यह सुविधा दी जायेगी कि वे निविदा खुलने के बाद न्यूनतम दर पर आपूर्ति करने पर सहमत हैं। सहमति देने पर उन्हें दर अनुबन्ध में सम्मिलित कर लिया जायेगा।

(3) राज्य सरकार के अधीनस्थ सार्वजनिक क्षेत्र के अधिष्ठानों (यथा निगमों/परिषदों आदि) को सामग्री क्रय नियमों के अन्तर्गत दर अनुबन्ध पर क्रय की सुविधा शासनादेश संख्या-878 (एस0पी0)/18-10-66 (एस0पी0)-72, दिनांक 24 अक्टूबर 1973 द्वारा पूर्व में ही प्रदत्त है, जिसके तहत उद्योग निदेशालय के दर अनुबन्ध में अधिसूचित फर्म उक्त अधिष्ठानों को भी सामग्री आपूर्ति करने के लिये बाध्य हैं, यह नीति पूर्ववत् रहेगी।

मूल्य तथा क्रय वरीयता की यह नीति दिनांक 31 मार्च, 1997 तक लागू रहेगी।

कृपया उपर्युक्त निर्देशानुसार कार्यवाही सुनिश्चित करें एवं इस शासनादेश की प्राप्ति स्वीकार करने का कष्ट करें।

यह आदेश वित्त विभाग की सहमति से जारी किया जा रहा है।

भवदीय,
अतुल चतुर्वेदी
सचिव।

संख्या: 580 (1)/18-7-96-9 (एस0पी0)-95, तद्दिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1--शासन के समस्त प्रमुख सचिव/सचिव को इस आशय से प्रेषित कि वे अपने अधीनस्थ समस्त विभागाध्यक्ष, कार्यालयाध्यक्ष, निगमों व प्राधिकरणों को शासनादेश के अनुपालन हेतु सम्यक् निर्देश जारी करें।

2--समस्त विभागाध्यक्ष/कार्यालयाध्यक्ष, उ0 प्र0 को अनुपालनार्थ।

3--गोपन अनुभाग-1।

4--सार्वजनिक उद्यम ब्यूरो को इस आशय से प्रेषित कि वे समस्त निगमों/उपक्रमों को शासनादेश के अनुपालन हेतु निर्देश जारी करें।

आज्ञा से,
डा0 रणवीर सिंह,
विशेष सचिव।

(273)

LIST OF ITEMS RESERVED FOR PURCHASE FROM SMALL SCALE INDUSTRIAL UNITS INCLUDING HANDICRAFT SECTOR.

Sl.No. Item Description

1. AAC/&ACSR Conductor upto 19 strand.
2. Agricultural Implements
   (a) Hand Operated tools & implements
   (b) Animal driven implements.
3. Air/Room Coolers
4. Aluminium builder's hardware
5. Ambulance stretcher
6. Ammeters/ohm meter/Volt meter (Electro magnetic upto Class I accuracy)
7. Anklets Web Khaki
8. Augur (Carpenters)
9. Automobile Head light Assembly
10. Badges cloth embroidered and metals
11. Bags of all types i.e. made of leather, cotton, canvas & jute etc. including kit bags, mail bags, sleeping bags & water-proof bag.
12. Bandage cloth
13. Barbed Wire
14. Basket cane (Procurement can also be made from State Forest Corpn. and State Handicraft Corporation).
15. Bath tubs.
16. Battery Charger
17. Battery Eliminator
18. Beam Scales (upto 1.5 tons)
19. Belt leather & straps
20. Bench Vices
21. Bituminous Paints
22. Blotting Paper
23. Bolts & Nuts
24. Bolts Sliding
25. Bone Meal
26. Boot Polish
27. Boots & Shoes of all types including canvas shoes
28. Bowls
29. Boxes Leather
30. Boxes made of metal
31. Braces
32. Brackets other than those used in Railways
33. Brass Wire
34. Brief Cases (other than moulded luggage)
35. Brooms
36. Brushes of all types
37. Buckets of all types
38. Button of all types
39. Candle Wax Carriage
40. Cane Valves/stock valves (for water fittings only)

41. Cans metallic (for milk & measuring)
42. Canvas Products :
    (a) Water Proof Deliver, Bags to spec. No. IS - 1422/70
    (b) Bonnet Covers & Radiators Muff to spec Drg. Lv 7/NSN/IA/130295
43. Capes Cotton & Woollen
44. Capes Waterproof
45. Castor Oil
46. Ceiling roses upto 15 amps.
47. Centrifugal steel plate blowers
48. Centrifugal Pumps suction & delivery 150 mm x 150 mm.
49. Chaff Cutter Blade
50. Chains lashing
51. Chappals and sandals
52. Chamois Leather
53. Chokes for light fitting
54. Chrome Tanned leather (Semi-finished Buffalo & Cow)
55. Circlip's
56. Claw Bars and Wires
57. Cleaning Powder
58. Clinical Thermometers
59. Cloth Covers
60. Cloth Jaconet
61. Cloth Sponge
62. Coir fibre and Coir yarn
63. Coir mattress cushions and matting
64. Coir Rope hawserlaid
65. Community Radio Receivers
66. Conduit pipes
67. Copper nail
68. Copper Napthenate
69. Copper sulphate
70. Cord Twine Maker
71. Cordage Others
72. Corrugated Paper Board & Boxes
73. Cotton Absorbent
74. Cotton Belts
75. Cotton Carriers
76. Cotton Cases
77. Cotton Cord Twine
78. Cotton Hosiery
79. Cotton Packs
80. Cotton Pouches
81. Cotton Ropes
82. Cotton Singlets
83. Cotton Sling
84. Cotton Straps
85. Cotton tapes and laces
86. Cotton Wool (Non absorbent)
87. Crates Wooden & plastic

88. (a) Crucibles upto No. 200
(b) Crucibles Graphite upto No. 500
(c) Other Crucibles upto 30 kgs.
89. Cumblies & blankets
90. Curtains mosquito
91. Cutters
92. Dibutyl phthalate
93. Diesel engines upto 15 H.P.
94. Dimethyl Phthalate
95. Disinfectant Fluid
96. Distribution Board upto 15 amps.
97. Domestic Electric appliances as per BIS Specifications :-
- Toaster Electric, Elect. Iron, Hot Plates, Elect. Mixer, Grinders Room heaters & convectors and ovens.
98. Domestic (House Wiring) P.V.C. Cables and Wires (Aluminium) Conforming to the prescribed BIS Specifications and upto 10.00 mm sq. nominal cross section.
99. Drawing & Mathematical Instruments
100. Drums & Barrels
101. Dust Bins
102. Dust Shield leather
103. Dusters Cotton all types except the items required in Khadi.
104. Dyes :
(a) Azo Dyes (Direct & Acid)
(b) Basic Dyes
105. Electric Call bells/buzzers/door bells.
106. Electric Soldering Iron
107. Electric Transmission Line Hardware like steel cross bars, cross arms clamps arching arm, brackets, etc.
108. Electronic door bell
109. Emergency Light (Rechargeable type)
110. Enamel Wares & Enamel Utensils
111. Equipment camouflage Bamboo support
112. Exhaust Muffler
113. Expanded Metal
114. Eyelets
115. Film Polythene - including wide width film
116. Film spools & cans
117. Fire Extinguishers (wall type)
118. Foot Powder
119. French polish
120. Funnels
121. Fuse Cut outs
122. Fuse Unit
123. Garments (excluding supply from Indian Ordnance Factories)
124. Gas mantels
125. Gauze cloth
126. Gauze surgical all types.
127. Ghamellas (Tasllas)
128. Glass Ampules.

129. Glass & Pressed Wares
130. Glue
131. Grease Nipples & Grease guns
132. Gun cases
133. Gun Metal Bushes
134. Gumtape
135. Hand drawn carts of all types
136. Hand gloves of all types
137. Hand Lamps Railways
138. Hand numbering machine
139. Hand pounded Rice (polished and unpolished)
140. Hand presses
141. Hand Pump
142. Hand Tools of all types
143. Handles wooden and bamboo (Procurement can also be made from State Forest Corpn. and State Handicraft Corporation)
144. Harness Leather
145. Hasps & Staples
146. Haver Sacks
147. Helmet Non-Metallic
148. Hide and country leather of all types
149. Hinges
150. Hob nails
151. Holdall
152. Honey
153. Horse and Mule Shoes
154. Hydraulic Jacks below 30 ton capacity
155. Insecticides Dust and Sprayers (Manual only)
156. Invalid wheeled chairs.
157. Invertor domestic type upto 5 kvA.
158. Iron (dhobi)
159. Key board wooden
160. Kit Boxes
161. Kodali
162. Lace leather
163. Lamp holders
164. Lamp signal
165. Lantems Posts & bodies
166. Lanyard
167. Latex foam sponge
168. Lathies
169. Letter Boxes
170. Lighting Arresters - upto 22 kv
171. Link Clip
172. Linseed Oil
173. Lint Plain
174. Lockers
175. Lubricators
176. L.T. Porcelain KITKAT & Fuse Grips

177. Machine Screws
178. Magnesium Sulphate
179. Mallet Wooden
180. Manhole covers
181 Measuring Tapes and Sticks
182. Metal clad switches (upto 30 Amps)
183. Metal Polish
184. Metallic containers and drums other than N.E.C.(Not elsewhere classified)
185. Metric weights
186. Microscope for normal medical use
187. Miniature bulbs (for torches only)
188. M.S. Tie Bars
189. Nail Cutters
190. Napthalen Balls
191. Newar
192. Nickel Sulphate
193. Nylon Stocking
194. Nylon Tapes and Laces
195. Oil Bound Distemper
196. Oil Stoves (Wick stoves only)
197. Pad locks of all types
198. Paint remover
199. Palma Rosa Oil
200. Palmgur
201. Pans Lavatory Flush
202. Paper conversion products, paper bags, envelops, Ice-cream cup, paper cup and saucers & paper Plates.
203 Paper Tapes (Gummed)
204. Pappads
205. Pickles & Chutney
206. Piles fabric
207. Pillows
208. Plaster of paris
209. Plastic Blow Moulded Containers upto 20 litre excluding Poly Ethylene Terpithalate (PET) Containers.
210. Plastic cane
211. Playing Cards
212. Plugs & Sockets electric upto 15 Amp.
213. Polythene bags
214. Polythene Pipes
215. Post Picket (Wooden)
216. Postal Lead seals
217. Potassium Nitrate
218. Pouches
219. Pressure Die Casting upto 0.75 kg.
220. Privy Pans
221. Pulley Wire
222. PVC footwears
223. PVC pipes upto 110 mm.

224 PVC Insulated Aluminium Cables (upto 120 sq. mm) (ISS:694)
225 Quilts, Razais
226 Rugs
227 Railway Carriage light fittings
228 Rakes Ballast
229 Razors
230 RCC Pipes upto 1200 mm dia
231 RCC Poles Prestressed
232 Rivets of all types
233. Rolling Shutters
234. Roof light Fittings
235. Rubber Balloons
236. Rubber Cord
237. Rubber Hoses (Unbranded)
238. Rubber Tubing (Excluding braided tubing)
239. Rubberised Garments Cap and Caps etc.
240. Rust/Scale Removing composition.
241. Safe meat & milk
242. Safety matches
243. Safety Pins (and other similar products like paper pins, staples pins etc.)
244 Sanitary Plumbing fittings
245 Sanitary Towels
246 Scientific Laboratory glasswares (Barring sophisticated items)
247 Scissors cutting (ordinary)
248 Screws of all types including High Tensile
249. Sheep skin all types
250 Shellac
251. Shoes laces
252 Shovels
253. Sign Boards painted
254 Silk ribbon
255. Silk Webbing
256. Skiboots & shoes
257. Sluice Valves
258. Snapfastner (Excluding 4 pcs. ones)
259. Soap Carbolic
260. Soap Curd
261. Soap Liquid
262. Soap Soft
263. Soap washing or laundary soap
264. Soap Yellow
265. Socket/pipes
266. Sodium Nitrate
267. Sodium Silicate
268. Sole leather
269. Spectacle frames
270. Spiked boot
271. Sports shoes made out of leather (for all Sports games)
272. Squirrel Cage Induction Motors upto and including 100 KW440 volts 3 phase

273 Stapling machine
274 Steel Almirah
275. Steel beds stead
276. Steel Chair
277. Steel desks
278 Steel racks/shelf
279 Steel stools
280 Steel trunks
281. Steel wool
282. Steel & aluminium windows and ventilators
283. Stockinet
284. Stone and stone quarry rollers
285. Stoneware jars
286. Stranded Wire
287. Street light fittings
288. Student Microscope
289. Studs (excluding high tensile)
290. Surgical Gloves (Except Plastic)
291. Table knives (Excluding Cutlery)
292. Tack Metallic
293. Taps
294. Tarpaulins
295. Teak fabricated round blocks
296. Tent Poles
297. Tentage Civil/Military & Sallah Jute for Tentage
298. Textiles manufacturers other than N.E.C. (not elsewhere classified)
299. Tiles
300. Tin Boxes for postage stamp
301. Tin can unprinted upto 4 gallons capacity (other than can O.T.S.)
302. Tin Mess
303. Tip Boots
304 Toggle Switches
305. Toilet Rolls
306. Transformer type welding sets conforming to IS:1291/75 (upto 600 amps)
307. Transistor Radio upto 3 band
308. Transistorised Insulation - Testers
309. Trays
310. Trays for postal use
311 Trolley
312. Trollies - drinking water
313. Tubular Poles
314. Tyres & Tubes (Cycles)
315 Umbrellas
316. Utensils all types
317. Valves Metallic
318. Varnish Black Japan
319. Voltage Stablisers including C.V.T's.
320. Washers all types
321 Water Proof Covers

संख्या–352 / 18–2–2011–4(एस0पी0) / 2010

प्रेषक

सत्यजीत ठाकुर,
प्रमुख सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में

1– समस्त प्रमुख सचिव / सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।
2– आयुक्त एवं निदेशक उद्योग,
उत्तर प्रदेश, कानपुर।

लघु उद्योग अनुभाग–2 लखनऊः दिनांकः 31 मार्च, 2011

विषयः–दर अनुबन्ध की व्यवस्था को समाप्त किये जाने के सम्बन्ध में ।

महोदय,

प्रदेश में राज्य सरकार के स्टोर परचेज रूल्स के अधीन उद्योग निदेशालय, उत्तर प्रदेश के स्तर पर केन्द्रीयकृत दर अनुबन्ध प्रणाली लागू है, जिसके अन्तर्गत प्रदेश के राजकीय विभागों द्वारा उपयोग की जाने वाली सामग्री की नियमित आवश्यकता को ध्यान में रखते हुए दर अनुबन्ध की कार्यवाही की जाती है। पूर्व में मात्रा अनुबन्ध का कार्य भी उद्योग निदेशालय द्वारा किया जाता था किन्तु शासनादेश संख्या–2177 एल / 18–7–94–15(एसपी) / 92, दिनांक 17 अक्टूबर, 1994 एवं शासनादेश संख्या–708 / 18–5–98–15(एसपी) / 92, दिनांक 08 जनवरी, 1999 द्वारा इसे विकेन्द्रीयकृत कर यह कार्य सभी विभागों को दे दिया गया है, केवल शासन के गृह विभाग के संबंध में यह व्यवस्था है कि यदि वह चाहे तो किसी वस्तु विशेष का मात्रा अनुबन्ध स्वयं अपने स्तर पर कर सकते हैं अथवा चाहें तो उद्योग निदेशालय से अनुरोध कर मात्रा अनुबन्ध की कार्यवाही करा सकते हैं।

2– उद्योग निदेशालय के स्तर पर केन्द्रीयकृत दर अनुबन्ध प्रणाली के अन्तर्गत जो कार्यवाही की जाती रही है, उसमें आपूर्ति की जाने वाली वस्तु की गुणवत्ता सुनिश्चित करने में कठिनाई अनुभव की गयी है। दर अनुबन्ध के अन्तर्गत आपूर्ति की जाने वाली वस्तु के जो नमूने लिये जाते हैं, वे केवल उद्योग निदेशालय तथा आपूर्तिकर्ता स्तर पर सुरक्षित होते हैं, जबकि सम्बन्धित वस्तु की आपूर्ति प्रदेशव्यापी स्तर पर विभिन्न विभागों एवं कार्यालयों को होती है, जिसके नमूने उपलब्ध न होने के कारण यह सुनिश्चित करना कठिन होता है कि दर अनुबन्ध के अन्तर्गत आपूर्ति की गयी वस्तु, निदेशालय स्तर पर दिये गये नमूने के अनुरूप है अथवा नहीं।

3– अतः प्रदेश की क्रय प्रक्रिया में बिजनेस प्रोसेस, रि–इंजीनियरिंग, चेंज मैनेजमेन्ट तथा प्रोक्योरमेन्ट रिफार्म्स को सुनिश्चित करने हेतु मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि वर्तमान में प्रदेश में उद्योग निदेशालय स्तर पर प्रभावी दर अनुबन्ध तथा मात्रा अनुबन्ध की व्यवस्था को समाप्त करते हुए सभी प्रकार की दर अनुबन्ध तथा मात्रा अनुबन्ध, सभी राजकीय विभागों को अपने स्तर से करने हेतु इस शर्त के साथ अधिकृत किया जाता है कि वह राज्य सरकार के स्टोर परचेज रूल्स, वित्तीय नियमों तथा समय–समय पर जारी शासनादेशों का पालन किया जाना सुनिश्चित करेंगे।

4-- वर्तमान में दर अनुबन्ध प्रणाली के अन्तर्गत उद्योग निदेशालय स्तर पर जो दर अनुबन्ध किये गये हैं, उन्हें उनकी वैधता अवधि तक यथावत रखा जायेगा एवं भविष्य में इन वस्तुओं के सम्बन्ध में भी दर अनुबन्ध की कार्यवाही उपरोक्तानुसार की जायेगी।

5-- भण्डार क्रय नियमों में यथा-आवश्यक संशोधन अलग से किये जायेंगे।

6-- यह आदेश वित्त विभाग के अशासकीय संख्या--एफ ए--1--87/दस--2011, दिनांक 28 मार्च, 2011 में प्राप्त उनकी सहमति से जारी किये जा रहे हैं।

भवदीय,

(सत्यजीत ठाकुर)
प्रमुख सचिव।

संख्या--352(1)/18--2--2011--4(एसपी)/2010 तददिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :--

1-- महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी)--प्रथम/द्वितीय तथा (आडिट)--प्रथम/द्वितीय, उत्तर प्रदेश, इलाहाबाद।
2-- प्रमुख सचिव, श्री राज्यपाल, उत्तर प्रदेश, राजभवन, लखनऊ।
3-- प्रमुख सचिव, विधान सभा/विधान परिषद सचिवालय, उत्तर प्रदेश, लखनऊ।
4-- सचिवालय के समस्त अनुभाग।
5-- गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

(दया शंकर सिंह)
अनु सचिव।